न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

प्रार्थनापत्र सं0———————————————————— 05/2021
प्रविष्टि दिनांक ——————————————————— 12.01.2020

उनवान

उद्दा पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील व जिला टोंक राज0

–आवेदक

बनाम

तहसीलदार टोंक तहसील कार्यालय टोंक राज0

–प्रतिपक्षी

उपस्थित– श्री शिवराज टाण्डी–अभिभाषक प्रार्थी
श्री अर्जुनलाल मीणा–पैरोकार सरकार

निर्णय
(प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

दिनांक–....27/1/2021

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि अभिभाषक प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार भूमि ख0नं0 7/86 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम बालापुरा पटवार हल्का देवपुरा तहसील व जिला टोंक में स्थित है, जो आवेदक की तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है तथा जिसमें आवेदक का 3/5 हिस्सा एवं 2/5 हिस्सा उसके भाई काना व रामसहाय का है। उपरोक्त वर्णित आराजी आवेदक की तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। आवेदक अपनी उक्त खातेदारी की आराजी को काश्त करता आ रहा है। आवेदक की उपरोक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त आराजी के मौके पर सीमाओं के चिन्ह मिट चुके है, जिससे आये दिन पडोसी काश्तकारों से आवेदक व उनके परिवार जनों से झगडा फसाद होता है तथा पडोसी काश्तकारान आवेदक की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त भूमि में जबरन घुसने व जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है। इस कारण आवेदक की उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि की पत्थर गढी करवाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जी टोंक से आवेदक की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 7/86 रकबा 1 बीघा एवं खसरा नम्बर 9 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बालापुरा पटवार हलका देवपुरा तहसील व जिला टोंक का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी करवायी जाये।

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार टोंक से जवाब तलब किया गया। पैरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यदि आवेदक/प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान करवा लिया है तो पत्थरगढी किये जाने में प्रतिपक्षी को कोई आपत्ति नही है। आवेदक/प्रार्थी को पत्थरगढी से पूर्व नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कराने के आदेश प्रदान किये जावे। साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस पेश किय गये। जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं बहस के परिप्रेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी का जवाब भी प्रार्थनापत्र की स्वीकारोक्ति की ओर इशारा करता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करना यह न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी से सीमाज्ञान एंव पत्थरगढी हेतु नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर, अपनी उपस्थिति मे भूमि खसरा नम्बर 7/86 रकबा 1 बीघा एवं खसरा नम्बर 9 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बालापुरा पटवार हल्का देवपुरा तहसील टोंक का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाकर, पालना रिपोर्ट इस कार्यालय मे भिजवाने की सुनिश्चितता करे।

आदेश आज दिनांक ..27/01/2021...... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

(नित्या के0)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, टोंक